<u>न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बडवानी</u> (समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय्')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 707/2014 संस्थित दिनांक 03.11.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

- अभियोगी

वि रू द्ध

वारिस पिता सबदर, उम्र 27 वर्ष, निवासी आजाद नगर पुराना वाटर मदिना गेट इंदौर

- अभियुक्त

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी अभियुक्त द्वारा अभिभाषक — श्री आर.के. श्रीवास

(आज दिनांक 28/03/2017 को घोषित)

- 01— पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 201/2014 के आधार पर आरोपी के विरूद्ध दिनांक 11.09.2014 को शाम के लगभग 4:30 बजे बरूफाटक बायपास लोक मार्ग पर द्रक क. एम.एच—04 जी.सी./3169 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर गुड़िया एवं सोहन का मानव जीवन संकटापन्न करने और उसी समय उक्त द्रक को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर सोहन को घोर उपहती कारित करने तथा गुड़िया की मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित करने, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, के आधार पर, भादिव की धारा 279, 338, 304—ए का अभियोग है।
- 02— प्रकरण में बचाव पक्ष ने मृतक गुड़िया पिता बुधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 स्वीकार की है, इस प्रकार गुड़िया की मृत्यु होना स्वीकृत तथ्य है तथा द्रक का नम्बर एम.एच. 04—जी.सी.3169 की मेकेनिकल जॉच रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 भी बचाव पक्ष ने स्वीकार की है।
- 03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.09.14 को फरियादी सोहन ने थाना ठीकरी पर आकर रिपोर्ट लिखाई कि आज शाम 4:30 बजे वह तथा तथा गुड़िया मोटरसाईकिल क. एम.पी. 09 एल.एच. 1720 से मदरानिया से काला पानी जा रहे थे तभी ग्राम बरूफाटक पर द्रक क. एम.एच. 04 जी.सी. 3169 का चालक तेज गित व लापरवाही पूर्वक द्रक चलाकर लाया और उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिससे वह तथा गुड़िया रोड पर गिर गये और दोनों को चोटें लगी तथा मोटरसाईकिल का भी नुकसान हुआ, द्रक वाला द्रक लेकर जुलवानिया तरफ भाग गया,

राहगीर लोगों ने उसे व गुड़िया को अस्पताल ठीकरी लाये, रिपोर्ट करता है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी पर अपराध क्रमांक 201/214 दर्ज कर विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, आरोपी के पेश करने पर द्राला क्रमांक एम.एच. जी.सी./3169, उक्त द्रक के दस्तावेज तथा अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति को जप्त कर जप्ती पंचनामे बनाये गये तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्त को भादिव की धारा 279, 338, 304—ए के अंतर्गत अपराध की विशिष्ठियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

05- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :-

큙.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर दिनांक 11.09.2014 को शाम के लगभग 4:30 बजे बरूफाटक बायपास लोक मार्ग पर द्रक क. एम.एच—04 जी.सी./3169 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर गुड़िया एवं सोहन का मानव जीवन संकटापन्न किया?
(ii)	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना उक्त द्रक को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर सोहन को घोर उपहती कारित की?
(iii)	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त द्रक को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर गुडिया की मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?

विचारणीय प्रश्नों पर सकारण निष्कर्ष —

06— उपरोक्त तीनों विचारणीय प्रश्न एक—दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने के लिए तथा सुविधा की दृष्टि से इनका निराकरण एक—साथ किया जा रहा है।

07— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी सोहन (अ.सा.1) का कथन है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है, उसने दुर्घटना कारित करने वाले व्यक्ति को मौके पर नहीं देखा था। लगभग ड़ेढ़ वर्ष पूर्व मृतक गुडिया और वह, दोनों मोटरसाईकिल से बरूफाटक से उनके गांव काला पानी आ रहे थे, तभी इंदौर की ओर से आ रहे द्रक के चालक ने तेजी से द्रक को चलाकर उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसे व गुड़िया को चोटें आयी और ईलाज के दौरान गुड़िया की मृत्यु हो गयी थी। घटना स्थल पर एम्बुलेंस वाहन आया था और उसका ठीकरी अस्पताल में

ईलाज हआ था, पुलिस ने अस्पताल में आकर लिखा पढ़ी की थी और देहांती नालीसी प्रदर्श पी 1 है जिस पर उसने निशानी अंगुठा किया था, उसके बाद वह बेहोश हो गया था। अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को देहांती नालीसी प्रदर्श पी 1 की लेखबद्ध कराते समय द्रक का कृ. एम.एच 04 जी.सी. 3169 बता दिया था। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी तब उसने द्रक का कृ. एम.एच. 04 जी.सी 3169 तथा चालक द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाली बात बता दी थी।

08— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्पष्ट किया है कि वह 3 कक्षा 3 रीं तक पढ़ा लिखा है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे अंग्रेजी अक्षरों व शब्दों का ज्ञान नहीं है और वह अंग्रेजी पढ़ नहीं सकता हैं। साक्षी ने इस सुझाव से को स्वीकार किया है कि वह एक्सीडेंट करने वाले वाहन का नंबर नहीं देख पाया था और उसने पुलिस को प्रदर्श पी 1 व प्रदर्श पी 2 में वाहन का क्मांक नहीं बताया था, पुलिस वाहन का नंबर कैसे लिख लिया उसे नहीं मालूम। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी 2 में ए से ए भाग वाली बात नहीं बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वे दुर्घटना में गिर गये थे इसलिये वाहन का नंबर नहीं देख पाये थे। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि घटना स्थल ए बी रोड है, बहुत सारे वाहन आते जाते रहते है। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि वह पुलिस के साथ घटना स्थल पर नहीं गया था।

श्रीकृष्णा (अ.सा.२), बुधा (अ.सा.३), मोतीलाल (अ.सा.४) और संतोष (अ. सा.5) ने फरियादी सोहन के कथनों का समर्थन करते हुए फरियादी सोहन और मृतक गुडिया की मोटरसाईकिल को द्रक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मारने और टक्कर मारने से दोनों को चोटें आना और मृतक गुडिया की ईलाज के दौरान मृत्यु होने के संबंध में कथन किये है। श्रीकृष्णा (अ.सा.2) का यह भी कथन है कि पुलिस ने उसकी निशांदेही से प्रदर्श पी 3 का नक्शा मौका बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बुधा (अ.सा.३), मोतीलाल (अ.सा.४), संतोष (अ.सा. 5) ने पुलिस द्वारा मृतक गुडिया की लाश का नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी 4 का बनाने और लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी 5 का बनाने के संबंध में भी कथन किये है। संतोष (अ.सा.5) को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि सोहन और गुडिया की मोटरसाईकिल द्वाले नंबर एम.एच.04 जी.सी. 3169 ने टक्कर मारी थी अथवा वह आरोपी से मिलकर उसे बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी श्रीकृष्णा (अ.सा.२), संतोष (अ. सा.5) ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उन्होंने घटना होते हुए नहीं देखी अथवा उन्होंने पुलिस को अपने कथनमें वाहन का नंबर एम.एच. 04 जी.सी. 3169 नहीं बताया था। साक्षी श्रीकृष्ण (अ.सा.२) ने स्पष्ट किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी 3 का घटना स्थल भी नहीं बताया था।

10— डॉ. गौरव (अ.सा.7) का कथन है कि दिनांक 11.09.14 को एम्बुलेंस द्वारा आहत गुडिया पिता बुदा उम्र 28 वर्ष एवं सोहन पिता देवीसिंह उम्र

35 वर्ष को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु लाने पर दोनों को चोटें होना पाया था तथा साक्षी ने परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 7 को प्रमाणित किया है तथा साक्षी ने आहत सोहन को प्रदर्श पी 8 में दर्शित अस्थिभंग होना भी पाया था और प्रदर्श पी 8 की एक्सरे रिपोर्ट को भी प्रमाणित किया है।

11— संजीव पाटिल (अ.सा.8) का कथन है कि दि. 11.09.14 को उसने थाना ठीकरी पर फरियादी सोहन पिता देवीसिंह के कहे अनुसार प्रदर्श पी 1 की देहांती नालसी दर्ज की थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने थाना ठीकरी पर देहांती नालसी लाकर प्रस्तुत की थी जिसके आधार पर थाना ठीकरी पर अप. प्र.क. 201/14 पर अपराध पंजीबद्ध किया था। साक्षी ने प्रदर्श पी 8 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे फरियादी सोहन ने कोई रिपोर्ट देहांती नालसी नहीं लिखाई थी अथवा देहांती नालसी में ए से ए भाग वाली बात नहीं लिखाई थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसे साक्षी सोहन ने वाहन का क्रमांक नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने मृतक के परिवार से मिलकर असत्य कार्यवाही की है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

12— जगदीश चौहान (अ.सा.6) का कथन दिनांक 11.09.14 को थाना ठीकरी के अप. प्र.क. 201/14 की केस डायरी प्राप्त होने पर अनुसंधान के दौरान उसने घटना स्थल पर पहुंचकर श्रीकृष्ण वर्मा की निशांदेही से प्रदर्श पी 3 का नक्शा मौका बनाने, अरोपी के पेश करने पर द्राला का क. एम.एच 04 जी.सी. 3169, दस्तावेज और अरोपी की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्श पी 6 के अनुसार जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाने, फरियादी तथा साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने के संबंध में कथन किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये परीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि सोहन ने उसे देहांती नालसी में द्राले का नंबर नहीं लिखाया अथवा किसी साक्षी ने भी अपने कथन के दौरान उसे ट् द्राला का नम्बर एम.एच. 04—जी.सी.3169 नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने व थाने वालों ने मृतक के परिवार वालों से मिलकर उसे क्लेम दिलाने के लिये आरोपी के विरुद्ध असत्य प्रकरण बताया है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

13— इस प्रकार स्पष्ट रूप से फरियादी स्वयं सोहन ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त को नहीं पहचानने तथा दूर्घटना कारित करने वाले व्यक्ति को मौके पर नहीं देखने के संबंध में कथन किया है तथा किसी अन्य साक्षी ने भी कथन के दौरान आरोपी द्वारा उक्त द्वाला लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर उसकी टक्कर गुड़िया की मोटरसाईकिल को मारकर उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में कथन नहीं किये है। तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी के द्वारा ही घटना दिनांक, स्थान और समय पर द्रक का नम्बर एम.एच. 04—जी.सी. 3169 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर सोहन को गंभीर उपहित कारित की तथा यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने उक्त द्रक का नम्बर एम.एच. 04—जी.सी.3169 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर गुड़िया की मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितयों में कारित की जो आपराधिक मानव वध की

श्रेणी में नहीं आती है।

14— अतः उपरोक्तानुसार अभियोजन अपनी ओर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्य व उसके विवेचन से आरोपी के विरूद्ध भादिव की धारा 279, 338, 304—ए का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त वारिस पिता सबदर, उम्र 27 वर्ष, निवासी आजाद नगर पुराना वाटर मिदना गेट इंदौर को भादिव की धारा 279, 338, 304—ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित करता है।

15— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

16— आरोपी के अभिरक्षा में होने के संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

17— प्रकरण में जप्तशुदा द्रक नम्बर एम.एच. 04—जी.सी.3169 पूर्व से उनके पंजीकृत स्वामी / सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दनामा, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर नियमानुसार उसी के पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

-सही-(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र. -सही-(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड, जिला बडवानी, म.प्र.